(आदेश 21 के नियम 6 और 7 जा.दी.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर शेरगढ जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी महावीरसिंह जोधा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या	दायर दिनाक	निर्णय दिनांक
07 / 2017	02.06.2017	26.07.2019

1 भैराराम पुत्र रूगाराम जाति जाट निवासी सोमेसर तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर

वादीगण

बनाम

1. मंगलाराम पुत्र रूगाराम जाति जाट निवासी सोमेसर
2. पूनाराम पुत्र लालाराम
3. फुली पत्नी पदमाराम
4. अर्जुनराम पुत्र पदमाराम
5. भगाराम पुत्र पदमाराम
6. भीयाराम पुत्र पदमाराम

सभी जातियान जाट निवासीगण सोलकियांतला तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ़ जिला जोधपुर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा।

1. वादीगण अधिवक्ता श्री देवेन्द्र सोनी उपस्थित ।
2. प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही

वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसमें इस न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.01.2019 को तहसीलदार शेरगढ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया गया की उक्त खसरा नम्बर 256 मौजा सोमेसर का उभयपक्ष की उपस्थिति में मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बॅटवाडा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे ।

प्रकरण में तहसीलदार शेरगढ द्वारा दिनांक 24.06.2019 को बटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस एवं तहसीलदार शेरगढ की रिपोर्ट पर मनन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि तहसीलदार शेरगढ की बटवाडा रिपोर्ट अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण की आराजीयात का निम्नानुसार बॅटवाडा किया जाता है ।

सहायक कलक्टर शेरगढ़
जिला जोधपुर

Scanned by CamScanner

क्र. स.	खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा बीघा	किस्म	लगान
1	भैराराम पुत्र रूगाराम	256	28–19	बा।।	2.80
2	पूनाराम पुत्र लालाराम	256	2–13	बा।।	0.26
3	मंगलाराम पुत्र रूगाराम	256	6–06	बा।।	0.61
4	फुली पत्नी पदमाराम, अर्जूनराम,भगाराम , भीयाराम पि. पदमाराम	256	12–12	बा।।	1.22

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी को मौजा सोमेसर में स्थित उपरोक्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । बंटवाडा रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा । अन्तिम डिक्री जारी हो ।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया । प्रकरण शुमारफैसल होकर नम्बर से कम हो।

(महावीरसिंह जोधा)
सहायक कलेक्टर
शेरगढ़, जोधपुर

सहायक कलेक्टर शेरगढ़
जिला जोधपुर

Scanned by CamScanner